न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 29/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/189
दायर दिनांक :– 01.03.2023 निर्णय दिनांक :– 03.03.2025

वादिनी	बनाम	प्रतिवादीगण
ईन्द्रा पत्नी अणदाराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर		1. कैलाशचन्द्र पुत्र जीवणराम 2. सोमराज पुत्र जीवणराम 3. हनुमानराम पुत्र जीवणराम सर्व जाति विश्नोई नि. कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर 4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा बाप 5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा बाप 6. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री विजय तंवर अधिवक्ता प्रति. सं. 1 ता 3

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1428/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430/4 रकबा 7.0982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.1718 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर खसरा नम्बर 1686/5 रकबा 6.5559 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

03/3/25
सहायक क...

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की और से अधिवक्ता विजय तंवर ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1428/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430/4 रकबा 7.0982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.1718 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर खसरा नम्बर 1686/5 रकबा 6.5559 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिकी जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1428/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430/4 रकबा 7.0982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.1718 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर खसरा नम्बर 1686/5 रकबा 6.5559 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :—

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	ईन्द्रा पत्नी अणदाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा बाप	लिखमासर कानासर	1430/4 1686/5	3.4820 हैक्टेयर 3.2779 हैक्टेयर	बी—1 बी—4
2	कैलाश पुत्र जीवणराम 1/3 हि. सोमराज पुत्र जीवणराम 1/3 हिस्सा रहन शाखा यूको बैंक बाप, हनुमानराम पुत्र जीवणराम 1/3 हिस्सा, रहन यूको बैंक बाप सर्व जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	लिखमासर कानासर	1430/4 1686/5	3.6162 हैक्टेयर 3.2780 हैक्टेयर	बी—1 बी—4

03/3/25
सहायक क...
बाप (फलोदी)

3	इन्द्रा पत्नी अणदाराम 441/899 रहन एस.बी.आई शाखा बाप, कैलाशचन्द्र पुत्र जीवणराम 458/2697, सोमराज पुत्र जीवणराम 458/2697, रहन यूको बैंक बाप, हनुमानराम पुत्र जीवणराम 458/2697 रहन यूको बैंक बाप सर्व जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	लिखमासर	1428/1 1431	0.0809 हैक्टेयर 0.1718 हैक्टेयर	गै.मु.ढाणी गै.मु.

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादिनी

ईन्द्रा पत्नी अणदाराम
जाति विश्नोई निवासी कानासर
तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कैलाशचन्द्र पुत्र जीवणराम
2. सोमराज पुत्र जीवणराम
3. हनुमानराम पुत्र जीवणराम
   सर्व जाति विश्नोई नि. कानासर
   तहसील बाप जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक
   शाखा बाप
5. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई.
   शाखा बाप
6. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 29 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व विजय तंवर मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम लिखमासर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 1428 / 1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1430 / 4 रकबा 7.0982 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1431 रकबा 0.1718 हैक्टेयर तथा ग्राम कानासर पटवार क्षेत्र कानासर खसरा नम्बर 1686 / 5 रकबा 6.5559 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	ईन्द्रा पत्नी अणदाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन एस.बी.आई शाखा बाप	लिखमासर कानासर	1430 / 4 1686 / 5	3.4820 हैक्टेयर 3.2779 हैक्टेयर	बी–1 बी–4
2	कैलाश पुत्र जीवणराम 1/3 हि. सोमराज पुत्र जीवणराम 1/3 हिस्सा रहन शाखा यूको बैंक बाप, हनुमानराम पुत्र जीवणराम 1/3 हिस्सा, रहन यूको बैंक बाप सर्व जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	लिखमासर कानासर	1430 / 4 1686 / 5	3.6162 हैक्टेयर 3.2780 हैक्टेयर	बी–1 बी–4
3	ईन्द्रा पत्नी अणदाराम 441 / 899 रहन एस.बी.आई शाखा बाप, कैलाशचन्द्र पुत्र जीवणराम 458 / 2697, सोमराज पुत्र जीवणराम 458 / 2697, रहन यूको बैंक बाप, हनुमानराम पुत्र जीवणराम 458 / 2697 रहन यूको बैंक बाप सर्व जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	लिखमासर	1428 / 1 1431	0.0809 हैक्टेयर 0.1718 हैक्टेयर	गै.मु.ढाणी गै.मु.

23/3/25

सहायक कलेक्टर
बाप

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.03.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।